सारांशित प्र.क्र. 848,
प्रस्तुत दि. 29.07.2025
प्रमुख अभियंता अधिकारी
निरीक्षित

[29/7/2025]

पृष्ठ-85

[क्र. 848]

मध्यप्रदेश शासन
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बुरहानपुर

Email:- gmibur@mp.gov.in

क्रमांक / जिव्याउके / टेक्सटाईल / 2025 / 935 दिनांक 03.07.2025

प्रति,

उपायुक्त सहकारिता
सहकारिता विभाग
जिला बुरहानपुर

विषय :- बहादरपुर सहकारी सूत मिल बुरहानपुर में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरो की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बहादरपुर सहकारी सूत मिल की स्थापना सहकारिता विभाग के नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत की गई थी। सहकारिता विभाग द्वारा मिल को बन्द कर सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया। मिल का समापन भी आपके विभाग के नियमों अंतर्गत हो सकता है।

कार्यालयीन दस्तावेजो में बहादरपुर सहकारी सूत मिल बुरहानपुर में कार्यरत श्रमिको एवं मजदूरो की प्रमाणित सूची नही पाई गई। नस्ती में मिल में कार्यरत श्रमिकों एवं मजदूरों की निम्नानुसार जानकारी बतायी गई हैं –

1. परिसमापक ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा	i] स्थाई / कर्मचारी	505	
	ii] बदली कर्मचारी	208	
	iii] अस्थाई कर्मचारी	208	कुल 921
2. परिसमापक सहकारिता विभाग द्वारा	i] कर्मचारी	68	
	ii] स्थाई कर्मचारी	466	
	iii] बदली कर्मचारी	181	
	iv] अस्थाई कर्मचारी	265	
	v] दैनिक वेतनभोगी	40	कुल 1019

3. तत्कालिन माननीय उच्च शिक्षा मंत्री एवं वर्तमान विधायक बुरहानपुर श्रीमती अर्चना चिटनीस द्वारा वर्ष 2009 में बताया गया कि बहादरपुर सहकारी सूत मिल में कुल 645 कर्मचारी होना बताया गया है।

4. संयुक्त संघर्ष समिति सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर से श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत सूची निम्नानुसार है :-

i] कार्यालयीन कर्मचारी	53	
ii] सामान्य श्रमिक	71	
iii] श्रमिक प्रथम वर्ग	124	
iv] श्रमिक द्वतीय वर्ग	124	
v] श्रमिक तृतीय	134	
vi] सेवानिवृत्त	28	
vii] बदली वाले श्रमिक	209	कुल 743

उपरोक्त सभी के द्वारा अलग अलग प्रकार की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। मिल में कार्यरत श्रमिको एवं मजदूरो की प्रमाणित सूची के अभाव में श्रमिकों एवं कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण नहीं हो पा रहा है तथा इनमें से कुल कितने कर्मचारियों का भुगतान किये जाने के पात्र हैं उनका भी कोई स्पष्ट सूची न होने से निराकरण किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः प्राथमिकता के आधार पर इसको गंभीरता से लेते हुए सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
बुरहानपुर

क्रमांक / जिव्याउके / टेक्सटाईल / 2025 / 536-538 दिनांक 03.07.2025

प्रतिलिपिः–

1. उद्योग आयुक्त, (टेक्सटाईल कक्ष) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर कलेक्टर जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. संयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
बुरहानपुर

(राजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग

तारांकित प्र. क्र. 848
प्रश्न दि. 29.07.2025
सदस्य-श्रीमती अर्चना चिटनीस

प्रपत्र-ब

मध्यप्रदेश शासन
जिला व्यापार एव उद्योग केन्द, बुरहानपुर
Email ID gmibur@mp.gov.in

क्रमांक / जिव्याउकें / टेक्सटाईल [illegible] / 2024 / 951

बुरहानपुर दिनाक 4/7/25

प्रति,

क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त
क्षेत्रीय भविष्यनिधि कार्यालय
रेसकोर्स रोड प्राधिकरण भवन
इंदौर म. प्र. 452001

विषय :– बहादरपुर सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर मे कार्यरत श्रमिको एव मजदूरो की सूची उपलब्ध कराने के संबंध मे ।

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि जिले में मेसर्स बहादरपुर सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर की स्थापना वर्ष 1964 मे की गई थी। सूतमिल का उत्पादन फरवरी 1998 से बंद हो गया है सूतमिल की देनदारियों के कारण अक्टुम्बर 1999 में सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर को सहकारिता विभाग द्वारा परिसमापन मे लाया गया । कार्यालयीन रिकार्ड मे यह पाया गया है कि यहाँ के कर्मचारियो का भविष्यनिधि कटौत्रा कर आपके कार्यालय में जमा किया जाता रहा है।

तत्काल समय मे मिल में कार्यरत श्रमिको एवं मजदूरो की देयको / स्वत्वो के भुगतान की कार्ययोजना बनाये जाने हेतु कार्यरत श्रमिको एवं मजदुरो की सूची आवश्यक है। अतः कृपया आपके रिकार्ड में उपलब्ध सहकारी सूत मिल मर्यादित बुरहानपुर में कार्यरत श्रमिको एवं मजदुरो की सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करे जिनका भविष्य निधि खाता हो ।

4/7/25

परिसमापक
बहादरपुर सहकारी सूत मिल मर्यादित,
एवं महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द,
बुरहानपुर
9826210448

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय
7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर
10 JUL 2025
आवक क्रमांक 2441
दिनांक

(राजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग